कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांक एफ 14(105/10)2016 / एफसीए / प्रमुवस / 3993 दिनांक 29/11/22

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषय – Land for extension of Bhamashah Krashi Upaj mandi Samiti Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/Others/20036/2016)

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 6789 दिनांक 16.11.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है –

1. बिन्दु संख्या 2 की पालना के कम में पार्ट ।। मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन करने वाले अधिकारियों के नाम अंकित कर दिये गये है किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न नही की गयी है।
2. बिन्दु संख्या 4 की पालना के कम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में एन0एफ0एल भूमि पर प्रचलित मॉडल की प्रति लगाया जाकर क्षतिपूर्ती योजना संलग्न की गयी है। प्राप्त गैर वन भूमि पर 1100 पौधे लगाया जाना संभव नहीं है अतः एन0एफ0एल भूमि पर कितने पौधे लगाया जाना है यह स्पष्ट नही है। अतः लगाये जाने वाले 96000 पौधों के अनुसार योजना बनायी जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 5 की पालना के कम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। मे 6 कि0मी0 नवीन दीवार एवं 2 कि0मी0 पुरानी दीवार की राशि हेतु यूजर ऐजेन्सी की वचनवद्धता संलग्न कर दी गयी है किन्तु प्रसताव के साथ संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट अनुसार 3314 र0मी0 दीवार का नुकसान होना है। तदनुसार टिप्पणी अपेक्षित है।
4. बिन्दु संख्या 6 की पालना के कम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में गैर वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गयी है किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के कम मे निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नही है।
5. बिन्दु संख्या 7 की पालना के कम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। मे पारिभ्रषित वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गयी है किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के कम में निर्धारित प्रपत्र मे योजना सलग्न नही है।
6. बिन्दु संख्या 9 की पालना के कम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में संशोधित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दो वर्ष से पुरानी है अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रसतावित है।
7. बिन्दु संख्या 10 की पालना के कम मे मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आनलाईन संलग्न नही है।
8. बिन्दु संख्या 12 की पालना के कम में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अभिशंषा ऑनलाईन संलग्न नही है।
9. मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा दिनांक 20.4.2018 को प्रेषित रिपोर्ट में उक्त क्षेत्र सी0ई0सी0 द्वारा अन्य एफ0सी0ए0 के प्रकरण में ग्रीन बैल्ट के रुप मे विकसित करने के निर्देश दिये गये है अतः इस कम में सी0ई0सी0 से उक्त बिन्दु पर छूट प्राप्त करने के उपरांत ही प्रस्ताव अग्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उक्त बिन्दु पर कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है।
10. लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के नवीन निर्देशो एवं नवीन दरों पर नही बनाया गया है।
11. उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र मे यह स्पष्ट नही है गैर वन भूमि में कितने पौधे लग पायेगे एव शेष पौधों को कहाँ लगाया जावेगा एवं उसकी स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
12. प्रकरण में 1998 में एफ0आई0आर काटी हुई है जिसका वर्तमान स्थिति क्या है पूछा जाना प्रस्तावित है।
13. यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट । में मात्र अणतपुरा में 96 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन को प्रसतावित की गयी है जबकि उक्त भूमि अणतपुरा में 72.34 है0 एवं उम्मेदगंज में 23.66 है0 वन भूमि प्रस्तावित है तदनुसार संशोधन अपेक्षित है।
14. प्रस्ताव में गैर वन भूमि दो ग्रामों गुंरायता में 74 है0 एवं बोरीनाखुर्द में 22 है0 प्रदान की गयी है अतः पार्ट । के बिन्दु संख्या एल0 मे तदनुसार संशोधन प्रसतावित है।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(105/10)2016 / एफसीए / प्रमुवस / 3994-95 दिनांक 29/11/22

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, कोटा
2. Krishi Upaj Mndi Samity, Kota, Rajasthan-324005

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा

क्रमांक – 193 दिनांक — 5-01-23

आपके द्वारा प्रेषित EDS Reply के दिनांक 2.1.23 मे बिन्दु सं 10 एवं 13, 14 का प्रत्युत्तर नहीं प्रस्तुत किया गया है। शीघ्र प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें

उप वन संरक्षक

Scanned with CamScanner